राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक प.9(   )/डीएमई / 2018/5005   दिनांकः– 20-1-18

परिपत्र

विभिन्न मेडिकल कालेज एवं उनसे सम्बद्ध अस्पताल की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आयोजित बैठकों के दौरान यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों में रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं/उपकरणों/औजारों या अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से बनाये रखने के कम में अल्प मात्रा में कुछ सामग्री/ आईटम इत्यादि का क्रय, सेवाओं को सुचारू रूप से बनाये रखने, उपकरणों/ वस्तुओं को दुरूस्त रखने हेतु अति–महत्वपूर्ण होता है परन्तु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के पास किसी प्रकार की सुविधा/राशि उपलब्ध नहीं होने से उक्त प्रकार के कार्यों को समय पर दुरूस्त नहीं कराया जा पाता है जिसके कारण विभाग को एवं मरीजों को परेशानी का सामना करना पडता है। कालेज/अस्पताल प्रशासन स्तर पर उक्त कार्यों को कराने में काफी समय लगता है जिसके कारण विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप बनाये रखने में गतिरोध उत्पन्न होता है।

उक्त समस्त तथ्यों के मध्येनजर कालेज/अस्पताल के विभिन्न विभागों की गतिविधियों को सुचारू रूप से बनाये रखने के क्रम में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–1 के नियम 212 के तहत स्थाई अग्रिम स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अतः कालेज/अस्पताल के विभागाध्यक्ष (प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज/चिकित्सा अध्यक्ष) स्तर से राशि रू. 10000/– स्थाई अग्रिम, कालेज/अस्पताल के विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्षों को आर.एम.आर.एस. की आय में से सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस. द्वारा स्वीकृत की जावे।
2. स्थाई अग्रिम दी गई राशि के व्यय होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा व्यय राशि का पूर्ण विवरण मय सत्यापित बिल, सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस. को प्रस्तुत करने पर राशि का तुरन्त पुनर्भरण किया जावे।
3. उक्त स्वीकृत स्थाई अग्रिम में से ऐसे कार्य/सेवाऐं इत्यादि जिनके लिये कालेज/ अस्पताल द्वारा CAMC/AMC/ दर संविदा/ निविदा के तहत दरें अनुमोदित की हुई है, को छोडकर शेष अन्य कार्य कराये जा सकेगें।
4. किसी भी विभागाध्यक्ष द्वारा किसी भी एक सेवा/क्रय पर राशि रू. 10000/– या उससे अधिक का व्यय नहीं किया जावेगा।

5. किसी भी विभागाध्यक्ष को उसकी आवश्यकता एवं मांग के आधार पर स्थाई अग्रिम स्वीकृत करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस. का होगा। स्थाई अग्रिम स्वीकृत नहीं किये जाने का औचित्यपूर्ण कारण पत्रावली में दर्ज करना होगा।
6. सदस्य सचिव द्वारा आर.एम.आर.एस. की कार्यकारिणी समिति (ई.सी.) की बैठक में प्रस्ताव रखा जाकर स्थाई अग्रिम स्वीकृति का कार्योत्तर अनुमोदन कराया जावे।

(आशुतोष ए.दी.पंडशेकर)
शासन सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक प.9( )/डीएमई / 2018/ 6005 दिनांकः– 20-1-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर।
5. चिकित्सा अधीक्षक, सम्बद्ध अस्पताल मेडिकल कॉलेज, जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, मेडिकल कालेज, जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग